राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

पत्रकार कालोनी के सामने, लिंक रोड़ न. 03, भोपाल म.प्र.

क्रमांक/एन.एच.एम./एन.टी.सी.पी./2023/ 422 भोपाल, दिनांक 11/08/2023

प्रति,

1. समस्त जिलाधीश, मध्यप्रदेश।
2. समसत पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
3. समस्त आयुक्त नगर पालिका निगम
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।

विषय–: भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA-2003), इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, हुक्का बार प्रतिबंध, फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन टोबेको कन्ट्रोल (FCTC) अनुच्छेद 5.3 के पूर्ण परिपालन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत में 13 से 14 लाख लोगो की मृत्यु तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण हो जाती है। भारत सरकार ने तम्बाकू उत्पाद के सेवन से उत्पन्न होने वाली आपदा से बचाने के लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003) बनाया गया है, इस अधिनियम की विभिन्न धाराएं निम्नलिखित है : –

अ : धारा 4 के अनुसार : सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधितः–

सभी सार्वजनिक स्थानो जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग माल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एअरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया जाना प्रतिबंधित है।

जिले के सार्वजनिक स्थानों पर सुनिश्चित करें कि –

- निम्न प्रारूप के धूम्रपान निषेध संबंधी न्यूनतम 60 X 30 से.मी. आकार के बोर्ड लगे हो।

- सार्वजनिक स्थानों पर कोई धूम्रपान ना करे, अगर इन स्थानों में कोई धूम्रपान करते हुए मिलता है, तो दण्डात्मक कार्यवाही करें।
- इन स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर **200/–रूपये** तक जुर्माने का प्रावधान है।

ब : धारा 5 के अनुसार :

- तम्बाकू उत्पादों के प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञापन, उनके द्वारा प्रायोजन (स्पांसरशिप) एवं प्रोत्साहन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निषेध है।
- धारा 5 के उल्लंघन करने पर पुलिस एवं राज्य औषधि प्रशासन के उपनिरीक्षक और इससे उपर के अधिकारियों को प्रवेश करने, खोज करने और जब्त करने की शक्तियां है।

स : धारा 6 अ एवं 6 ब के अनुसार :

- धारा 6 अ– 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।
- धारा 6 ब– शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फीट) के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है।

(अतिरिक्त – किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 77 के अनुसार नाबालिको को तम्बाकू उत्पाद प्रदान करने पर 7 वर्ष की सजा एवं 1 लाख रूपयें तक की जुर्माने से दंण्डित किये जाने का प्रावधान है।)

द : धारा 7 के अनुसार :
तम्बाकू उत्पादों से होने वाली हानि के कारक के समबध में पैकेट के उपर 85 प्रतिशत चेतावनी (60 प्रतिशत चित्र एवं 25 प्रतिशत लिखित) प्रदर्शित होना अनिवार्य है।

2 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध– इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई–सिगरेट का इस्तेमाल युवाओं में काफी प्रचलित हो गया है। **भारत सरकार द्वारा ई–सिगरेट प्रतिषेध कानून 2019** की धारा 4 के अनुसार ई– सिगरेट का उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण विज्ञापन पर प्रतिषेध है।

अतः जिले में यदि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्षतः या परोक्ष रूप से इसमें लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ उचित कानूनी दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

3. हुक्का बार.– राज्य सरकार ने हुक्का बार की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। यदि, किसी भी स्थानो/स्थलों मे कोई हुक्का बार कियाशील/संचालित पाया जाए तो उचित कार्यवाही संस्थित की जाये।

4. फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन टोबेको कन्ट्रोल (FCTC) अनुच्छेद 5.3 - तम्बाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तम्बाकू नियंत्रण के लिये प्रारूप सम्मेलन (**फ्रेमवर्क कन्वेशन ऑन टोबेको कन्ट्रोल (FCTC)** की वर्ष 2004 में भारत के द्वारा अभिपुष्टि की गई है, अतः भारत FCTC के प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। **FCTC के अनुच्छेद 5.3 के अनुसार तम्बाकू उद्योग के वाणिज्यिक तथा अन्य निहित पदार्थो से तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं लोक स्वास्थ्य नीतियों को सुरक्षा प्रदान की जानी है। इसके अंर्तगत राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण नीतियों को निर्धारण करने तथा स्थापित करने के लिए जरुरी है कि–**

- तम्बाकू उत्पादों की व्यसनी और हानिकारक प्रकृति के बारे में जागरूकता को बढावा दिया जाये, नीतियों में तम्बाकू के थोक/ फुटकर विक्रेताओं एवं उद्योग द्वारा किसी भी तरह के हस्तक्षेप न हो।
- ऐसी किसी भी तरह की बैठक या आयोजन को सीमित करें जिसमें लगता हो कि उससे जिले में तम्बाकू नियंत्रण के लिये किये जा रहे प्रयासों को प्रभावित किया जा सकता है **उदाहरणः** के लिये तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 5 के अनुसार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू उत्पादों का प्रचार–प्रसार करना/कराया जाना प्रतिबंधित है।
- जिले में तम्बाकू उपयोग को प्रचारित करने के लिये किसी भी तरह की जनसंपर्क गतिविधियाँ ना हो या अवरूद्ध की जावे।
- यदि कोई कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदार (**Corporate Social Responsibility -CSR**) गतिविधियों के माध्यम से तम्बाकू उत्पादों को बढ़ावा देते हुए दिखे तो उसे तत्काल प्रभाव से रोका जाये।
- शिक्षण संस्थान में तम्बाकू उद्योग एवं विक्रेता द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधि का आयोजन न हो एवं पूर्णतः प्रतिबंधित हो।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू नियंत्रण को प्रभावित करने वाले किसी भी तरह के आयोजन, प्रचार–प्रसार, प्रोत्साहन, प्रतियोगिता आदि में भाग ना ले और न ही किसी भी गतिविधि या कार्यक्रम के प्रायोजन हेतु तंम्बाकू कंपनी से सहयोग लें।

निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपकी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक हैः

- जिला तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाये एवं सम्बधित विभागीय प्रतिनिधि उसमें उपस्थित रहे। (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समन्वय से उक्त बैठक आयोजित की जाए)
- समय–समय पर TL की बैंठकों में राष्ट्रीय तम्बाकू नियत्रंण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा एजेंडा में शामिल की जावे।
- जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून और राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाये।
- पुलिस विभाग की जिला स्तरीय मॉसिक अपराध बैठकों में **कोटपा अधिनियम** की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाये।

- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के सूचना पटल लगाने हेतु विभाग के अधिकारियो को निर्देशित किया जायें और जिले के सभी कार्यालय तम्बाकू मुक्त/धूम्रपान मुक्त घोषित किये जाऐं।
- नगर पालिका/निगम अधिकारी कोटपा– **धाराः 5** के तहत तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शित विज्ञापनों को हटाने की कार्यवाही करें।
- नगर पालिका/निगम मे तम्बाकू उत्पादों को बेचने के लिए तम्बाकू वेंडर लाइसेंसिंग लागू की जाये, तम्बाकू उत्पाद सिर्फ तम्बाकू उत्पाद की दुकानों से ही बेचे जाए एवं किराना, दूध पार्लर आदि दुकानों से तम्बाकू उत्पादों की बिक्री ना हो।
- कोटपा की **धाराः 6 "ब"** के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज (300 फीट) के दायरे में आने वाली सभी तम्बाकू उत्पादों की दुकानों को हटाया जावे।
- **धाराः 4 एवं 6** के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में एवं थानों में चलानी कार्यवाही हेतु रसीद कट्टा उपलब्ध कराया जावे। रसीद कट्टा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर अर्थदंड से प्राप्त रकम स्वास्थ्य विभाग के **स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अकाउंट नंबर 39061833761, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विंध्याचल भवन भोपाल** के खाते में जमा की जावे।
- जिले में की गई कार्यवाही एवं मॉसिक प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम नोडल अधिकारी द्वारा राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को भेजा जाये।
- गठित प्रर्वतन दल सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर धार 4, 5, 6.a. 6.b एवं 7 के परिपालन को सुनिश्चित करें।
- जिले में बिना चित्रात्मक चेतवानियों के तम्बाकू उत्पाद ना बेचे जायें, यह सुनिश्चित किया जावे।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की **"तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान गाईडलाइन"** के अनुसार जिले के समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाया जायें

उपरोक्त समस्त प्रावधानों को लागू कराने के संबंध में विभिन्न विभागों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उक्त प्रकल्पों के नियमों का अनुपालन करके, इस आशय के क्रम में आपके द्वारा उठाये गये आवश्यक कदम बच्चों, युवाओं एवं जनता को तम्बाकू आपदा से बचाने में कारगर सिद्ध होगे, जिस हेतु आपसे कार्यवाही अपेक्षित है।

(प्रियंका दास)
मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ
कमांक/एन.एच.एम./आर.के.एस.के./2023/ 423 **भोपाल, दिनांक** 11/08/2023

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, एनएचएम मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला नोडल अधिकारी एनटीसीपी एनएचएम मध्यप्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एनएचएम मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश